UPSI180000602022

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/3/2022

Ayush Subhash Singh Vs. Rakesh kumar

23-01-2024

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली तनकीह हेतु नियत है।

पक्षकारों को धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुलह–समझौता के लिए समझाया गया परन्तु पक्षकारों ने सुलह समझौता से इनकार किया। अतः उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

1. क्या वाद–पत्र में वर्णित वादीय सम्पत्ति का मालिक–काबिज व दाखिल वादी है? यदि हॉ, तो क्या वाद–पत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है?
2. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?
3. क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अलावा न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही किसी पक्षकार द्वारा किसी अन्य वाद बिन्दु पर बल ही दिया गया। पत्रावली वाद–बिन्दु संख्या–2 एवं 3 के निस्तारण हेतु दिनांक–06.03.2024 को पेश हो। अन्तरिम निषेधाज्ञा अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

अजय / स्टेनो

Digitally signed by AKSHITA SINGH
Date: 2024.01.23 18:21:23 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.